जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

बसेड़ी उपखण्ड में 6 अवैद्य ट्रांसफार्मर पकड़े

बिजली चोरी में लिप्त 23 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर

जयपुर 24 अगस्त। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखण्ड के विभिन्न गावों में अवैध ट्रांसफार्मर पकड़ने के लिए चलाए गए अभियान के तहत सोमवार को 6 अवैध सिंगल फेज के ट्रान्सफार्मर जब्त किये गये, जिनसे वृहत स्तर पर विद्युत चोरी हो रही थी।

सोमवार 22 अगस्त को विद्युत चोरी निरोधक दस्तो की दो टीमों ने बसेड़ी उपखण्ड के ग्राम जोरा का पुरा, तुलसीपुरा, महु गुलावली, महु नगला, खटाने का पुरा गांवो में अवैध ट्रान्सफार्मर लगाकर की जा रही विद्युत चोरी के खिलाफ कार्यवाही की गई। धौलपुर के अधीक्षण अभियन्ता श्री रामअवतार शर्मा के निर्देशन पर की गई कार्यवाही में अधिशाषी अभियन्ता–बाड़ी व सहायक अभियन्ता–बसेड़ी, बसेड़ी लोकल थाने का पुलिस जाब्ता तथा विधुत चोरी निरोधक पुलिस थाना के पुलिस जाब्ते ने संयुक्त रुप से कार्यवाही की। टीम में बाड़ी के अधिशाषी अभियन्ता एस.सी. जांगिड, सहायक अभियन्ता (पवस) बसेड़ी हंसराज मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता (एटीवीएस–प्रथम), बी.एस. भामा एवं रूप सिंह गुर्जर (एटीवीएस–।।) शामिल रहे।

पकड़े गए ट्रांसफार्मर जयपुर डिस्कॉम द्वारा नहीं लगाये गये तथा उन पर न तो विभाग का कोई निशान था और न ही उसमें नेम प्लेट लगी हुई थी एवं उनकी डिजाईन भी निगम के मानदण्ड के अनुसार नहीं थी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं द्वारा विभाग की बकाया राशि जमा नही कराने के कारण दो अन्य ट्रान्सफार्मर भी उतारे गये। विद्युत चोरी निरोधक दस्ते की दोनों टीमों द्वारा 23 व्यक्तियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 व 150 के तहत कार्यवाही करते हुए विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है।

एटीवीएस के पदस्थापन के पश्चात एवं बिजली की चोरी को रोकने तथा अवैध ट्रांसफार्मर व अन्य उपकरणों को जब्त करने के लिए लगातार जांच अभियान चलाने एवं इसमें लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने हेतु सघन अभियान आगे भी चालू रहेगा।

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 428/2016

22/08/2016 13:57

22/08/2016 15:15